ई-मेल

प्रेषक,

मिशन निदेशक,

उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,

ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

उपायुक्त स्वतःरोजगार,

समस्त जनपद।

पत्रांक: 440/1935/ड्राई राशन/2021-22 दिनांक: 10 जून 2021

विषय: प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में बाल विकास परियोजनाओं अंतर्गत संचालितग्रामीण आंगनवाड़ी केन्द्रों पर समूह के माध्यम से माह अप्रैल 2021, मई 2021 एवं माह जून 2021 हेतु अनुपूरक पुष्टाहार वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के पत्रांक संख्याC-145/बा०वि०परि०/पो०एवंस्वा०/2020-21, दिनांक 03जून 2021 (संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें,जिसके माध्यम से प्रदेश की बाल विकास परियोजनाओं अंतर्गत संचालित ग्रामीण आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार के वितरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम त्रैमास हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजना अंतर्गत नैफेड द्वारा परियोजना कार्यालय पर उपलब्ध कराये गये चना दाल एवं रिफ़ाइन्ड फोर्टीफाइड(सोयाबीन) खाद्य तेल का स्वयं सहायता समूह द्वारा उठान कर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर वितरण किया जाना है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि **भारत सरकार से 11-14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरियों के लिए योजना से अभी खाद्यान्न आवंटन प्राप्त नही हुआ है।** वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल 2021, मई 2021 एवं जून 2021 हेतु अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अंतर्गत THR वितरण के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये है उपरोक्त पत्रानुसार प्रथम त्रैमास का ड्राई राशन का वितरण निम्नानुसार कराया जाना है-

1. प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल 2021, मई 2021 एवं जून 2021 हेतु लाभार्थियों का सत्यापन कर वास्तविक लाभार्थियों को THR का वितरण किया जाना है।
2. माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 हेतु लाभार्थीवार प्रतिमाह वितरण किये जाने वाले टी०एच०आर० की मात्रा निम्नवत है :-

Category of Beneficiary	**Take Home Ration**			
	Wheat	**Rice**	**Chana Daal**	**Refined Fortified(Soyabeen) Edible Oil**
Children 06 month to 03 year	1.0kg.	1.0kg.	1.0kg.	0.455kg.
Children 03 year to 06 year	500gm	500gm	500gm	0.000
Pregnant & Lactating Women	1.5kg.	1.0kg.	1.0kg.	0.455kg.
06 month to 06 year severely Malnourished children	1.5kg.	1.5kg.	2.0kg.	0.455kg.

3. नैफेड द्वारा जनपदों में आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नवत है:-

क्रम स०	**लाभार्थी**	**चना दाल(मात्रा एम०टी० में)**	**रिफ़ाइन्ड फोर्टीफाइड(सोयाबीन) खाद्य तेल(मात्रा एम०टी० में**
1	ग्रामीण	39406.92	14923.48

DPO(N+H)

11.06.2021

4. <u>आई०सी०डी०एस० के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में लाभार्थियों को चावल एवं गेहूं का वितरण सीधे कोटेदार से लाभार्थियों को किया जायेगा।</u> आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा वितरण की तिथि एवं समय की सूचना स्वयं सहायत समूह की महिलाओं को दी जाएगी और वितरण के समय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी आमंत्रित किया जायेगा।
5. डी०सी०-एन०आर०एल०एम० पत्र प्राप्ति के दो दिवस के भीतर जिला कार्यक्रम अधिकारी से जनपद में विकासखंडवार नैफेड द्वारा सी०डी०पी०ओ० गोदाम पर उपलब्ध कराये गये खाद्यान की आपूर्ति की सूचना तथा प्रत्येक विकास खण्ड की आंगनवाड़ी केन्द्रों के अनुसार लाभार्थियों की सत्यापित सूची प्रेषित करने की मांग करेंगे।
6. डी०सी०-एन०आर०एल०एम० द्वारा डी०पी०ओ० से समन्वय स्थापित कर आई०सी०डी०एस० द्वारा लाभार्थियों की सत्यापित सूची प्राप्त की जायेगी। सूची प्राप्त करने के उपरांत आई०सी०डी०एस० द्वारा उपलब्ध करायी गयी लाभार्थियों की सूची ब्लाक में तैनात नोडल बी०एम०एम० को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करायी जाएगी कि वे अपने स्तर से सी०डी०पी०ओ०

से समन्वय स्थापित कर आंगनवाड़ी द्वारा खाद्यान वितरण का रोस्टर तैयार करें । रोस्टर तैयार हो जाने के उपरांत नोडल बी०एम०एम० द्वारा सम्बंधित ड्राई राशन हेतु मैप्ड समूहों को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर रोस्टर अनुसार खाद्यान वितरण कराये जाने हेतु दो दिवस पूर्व सूचित किया जायेगा तथा निर्धारित तिथि पर समूह द्वारा खाद्यान उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में नैफेड द्वारा निर्धारित पैकेजिंग में चना दाल एवं रिफ़ाइन्ड फोर्टीफाइड(सोयाबीन) खाद्य तेल की आपूर्ति सीधे परियोजना कार्यालय (सी०डी०पी०ओ० गोदाम) पर की जायेगी । नैफेड द्वारा पूर्ण मात्रा में उपलब्ध सामग्री (चना दाल एवं रिफ़ाइन्ड फोर्टीफाइड खाद्य तेल) का परियोजना कार्यालय से दो दिवस के भीतर स्वयं सहायता समूह द्वारा उठान किया जायेगा । तथा रोस्टर (वितरण की निर्धारित तिथि) के अनुसार खाद्यान का आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

8. यदि परियोजना कार्यालय पर नैफेड द्वारा उपलब्ध कराये गयी सामग्री प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध न हो अथवा परियोजना कार्यालय द्वारा गिनती करके सामग्री नही दी जा रही है अथवा समूह से आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा सामग्री नही ली जा रही है ऐसी परिस्थिति में प्रभावित समूह द्वारा इस समस्या को लिखित रूप से ज़िला कार्यक्रम आधिकारी- आई०सी०डी०एस० एवं मुख्य विकास अधिकारी के संज्ञान में लाया जाये जिससे समस्या का निदान अविलंब कराया जा सके ।

9. NAFED द्वारा एक ही प्रकार का खाद्यान (चना दाल एवं रिफ़ाइन्ड फोर्टीफाइड खाद्य तेल में से कोई एक सामग्री) सी०डी०पी०ओ० गोदाम पर उपलब्ध कराया गया हो तो ऐसी स्थिति में समस्त प्रकार के खाद्यान (चना दाल एवं रिफ़ाइन्ड फोर्टीफाइड खाद्य तेल) की गोदाम पर आपूर्ति पूर्ण हो जाने के उपरांत ही समूहों द्वारा उठान किया जायेगा । इससे समूहों को दो बार उठान नही करना पड़ेगा एवं समूहों को परिवहन व्यय की बचत होगी ।

10. अनुपूरक पुष्टाहार उठान एवं वितरण कर उसकी प्रगति रिपोर्ट दैनिक निर्धारित गूगलस्प्रेडशीट पर नोडल डी०एम०एम०(नॉन-फॉर्म एवं डी०एम०एम० जिसको नॉन-फॉर्म थीम का चार्ज दिया गया हो) द्वारा अंकन किया जाना है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम त्रैमास की नैफेड द्वारा परियोजना कार्यालय पर उपलब्ध कराये गये चना दाल एवं रिफ़ाइन्ड फोर्टीफाइड(सोयाबीन) खाद्य तेल समूहों द्वारा उठान कर आंगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

भवदीय

(योगेश कुमार)
मिशन निदेशक,
उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

10.06.2021

पत्रांक:- / /ड्राई राशन/2021-2022, उक्तदिनांक ।

प्रतिलिपि;

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ।
2. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद ।

मिशन निदेशक,
उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।